संख्या-76/2015/2415/सैंतीस-2-2015-1(28)/10

प्रेषक,

चन्द्र कान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-24 सितम्बर, 2015

विषयः- **पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (75 प्रति0के0पो0) (सामान्य) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजस्व पक्ष के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-07/सा0-1/एक्स-84/ईएसवीएचडी-सी.एस./2015-16, दिनांक-10.04.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण योजना (के.75/रा.25-के.+रा.) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु पुनर्वेध किये गये केन्द्रांश रू0-500.674 लाख के सापेक्ष निम्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू0-100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (हजार में)**
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5800.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	3900.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	300.00
योग-	**10000.00**

(रूपये एक करोड़ मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत उपलब्ध परिव्यय की सीमा तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार अनुमोदित मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध केन्द्रांश की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. स्वीकृत धनराशि को आहरण हेतु, यदि जनपद स्तर पर आहरण वितरण अधिकारी हों, तो संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय।

4. स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैण्डबुक तथा बजट मैनुअल के नियमों के तहत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।
5. योजनान्तर्गत वस्तुओं आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नियमावली का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
6. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
7. इस धनराशि का उपयोग प्रथम चरण के अवशेष 39 तथा द्वितीय चरण के 61 इस प्रकार कुल 100 पशुचिकित्सालयों पर अतिरिक्त उपकरणों/साज-सज्जा की व्यवस्था हेतु किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-"2403-पशुपालन-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0201-पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (के.75/रा.25-के.+रा.)" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-2-901/दस-2015, दिनांक-24.09.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(**चन्द्र कान्त पाण्डेय**)
विशेष सचिव।

<u>प्र0सं0-76/2015/2415(1)/सैंतीस-2-2015- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव (एल.एच.), पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि मँत्रालय, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in